रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बीरवार, 24 सितम्बर, 1987/2 आश्विन, 1909

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

(विधायी खण्ड)

अधिसूचना

शिमला-2, 24 सितम्बर, 1987

क्रमांक एल एल आर (डी) (6) 21/87-लैजिसलेशन.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा तारीख, 19 सितम्बर, 1987 को यथा अनुमोदित हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1987 (1987 का 16) को वर्ष 1987 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम सख्यांक 21 के रूप में हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,
राजकुमार महाजन,
सचिव।

2140-राजपत्र/87-24-9-87—1,297.

मूल्य : 20 पैसे।

1987 का अधिनियम संख्यांक 21.

हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1987

(राष्ट्रपति महोदय द्वारा तारीख 19 सितम्बर, 1987 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम, 1983 (1983 का 17) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम।**

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हुआ :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1987 है ।

(2) यह जुलाई, 1987 के इक्कीसवें दिन से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 11 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम, 1983 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 की उप-धारा (3) को लुप्त कर दिया जाएगा। 1983 का 17

नई धारा 11-क का अन्तःस्थापन।

3. मूल अधिनियम की धारा 11 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा 11-क इसके शीर्षक सहित, जोड़ दी जाएगी, अर्थात्:—

"**11-क अवमान के लिए दण्ड देने की शक्ति.**—लोक आयुक्त अपने अवमान की बाबत वही अधिकारिता, शक्तियां और प्राधिकार रखेगा और उनका प्रयोग करेगा जो कि उच्च न्यायालय को प्राप्त हैं और इस प्रयोजन के लिए, न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 के उपबन्ध निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, अर्थात्— 1971 का 70

(क) उसमें किसी उच्च न्यायालय के प्रति किए गए निर्देशों का ऐसा अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अन्तर्गत लोक आयुक्त के प्रति किया गया निर्देश भी शामिल है ;

(ख) धारा 18 की उप-धारा (1) लोक आयुक्त को लागू नहीं होगी ; और

(ग) धारा 19 की उप-धारा (1) के परन्तुक में "किसी संघ राज्य क्षेत्र में न्यायिक आयुक्त" के प्रति किए गए निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अन्तर्गत लोक आयुक्त को किया गया निर्देश भी शामिल है।

द्वितीय अनुसूची का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में 1 अप्रैल, 1986 से, "4000 रुपये" अंक और शब्द के लिए "9000 रुपये" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

निरसन और व्यावृत्तियां।

5. (1) हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1987 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है। 1987 का 4

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएंगी, मानो कि यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त हो गया था जिसको ऐसी बात या कार्रवाई की गई थी।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।